Agreement (MIA) at the forthcoming Singapore meeting of the World Trade Organisation (WTO) has irked the European Commission's top brass in Brussels, as reported in the Hindustan Times dated 5th November, 1996:

- (b) if so, the details thereof;
- (c) whether India's Commerce Secretary has conveyed/cleared the country's stand/position to the EC officials at Geneva meeting held recently including keeping the labour standards out of the purview of the W.T.Q.; and
- (d) if so, Government of India's reaction thereto?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI BOLLA BULI RAMAIAH): (a) to (d) The European Union is supporting the proposal to recommend to the Ministers at the Singapore Ministerial Conference the initiation of an educative process in the W.T.O. on the relationship between trade and investment. India is opposed to any such work being started in the WTO at this stage. India is also opposed to any consideration of 'core' labour standards' in the WTO. India's position on these matters has been appropriately conveyed to the European Union.

औद्योगिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों की पहचान करना

- 1051. श्री विमनभाई हरिभाई शुक्ल: क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
- (क) क्या सरकार देश में औद्योगिक रूप से पिछड़े राज्यों, जिलों और क्षेत्रों की पहचान करने का विचार रखती है:
 - (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) ऐसे राज्यों, जिलों और क्षेत्रों के औद्योगिक उत्थान और विकास के लिए क्या-क्या कदम उठाए गए हैं; और
- (घ) क्या इस संबंध में कोई प्रस्ताव तैयार किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन): (क) तथा (ख) देश में औद्योगिक रूप से पिछड़े राज्यों, जिलों, तथा क्षेत्रों की पहचान के लिए उद्योग मंत्रालय में कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि औद्योगिक रूप से पिछडे जिलों की पहचान

करने का काम वित्त मंत्रालय के अधीन है।

(ग) तथा (घ) केन्द्र सरकार ऐसे जिलों तथा क्षेत्रों के विकास के लिए विकास केन्द्र योजना, परिवहन राजसहायता योजना तथा एकीकृत आधारभूत विकास योजना चला रही है। सरकार ने हाल ही में उत्तरी पूर्वी क्षेत्र, जो देश के सबसे अधिक पिछड़े क्षेत्रों में से एक है, के विकास में तेजी लाने के लिए विभिन्न नये प्रोत्साहनों की घोषणा की है।

कोल इण्डिया लिमिटेड के मुख्यालय को हटाकर अन्यत्र ले जाया जाना

1052. श्री सूर्यभान पाटील वाहाडणे: क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार ने कोल इण्डिया लिमिटेड के मुख्यालय को हटा कर अन्यत्र ले जाने का फैसला किया है:
 - (ख) यदि हां, तो इस संबंध में विस्तृत जानकारी क्या है;
- (ग) क्या यह भी सच है कि केन्द्रीय सरकार ने बिहार में बंद पड़ी 14 कोयला खानों को राज्य सरकार को सौंपने का निर्णय किया है:
- (घ) यदि हां, तो इन कोयला खानों को साँपे जाने संबंधी नाम-वार ब्यौरा क्या है; और
- (ड़) उपर्युक्त दोनों निर्णय किस तारीख से प्रभावी हुए हैं?

कोयला मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह): (क) जी, नहीं।

- (ख़) प्रश्न के भाग (क) के उत्तर को दृष्टिगत करते हुए प्रश्न ही नहीं उठता है।
- (ग) से (ड़) एक संयुक्त निरीक्षण दल, जिसमें कोल इंडिया लि. तथा बिहार सरकार के प्रतिनिधि शामिल हैं, की सिफारिशों के आधार पर बिहार राज्य खनिज विकास निगम (बी.एस.एम.डी.सी.), जो कि बिहार सरकार का एक उपकम है, को पट्टे पर देने के लिए दिसम्बर, 1993 तथा जनवरी, 1994 में 14 बंद पड़ी कोयला खानों को विनिर्दिष्ट किया गया था। राज्य सरकारों को कोयला खानों को सौंपे जाने की केन्द्रीय सरकार की नीति को ध्यान में रखते हुए इस मामले की समीक्षा किए जाने के बाद बी.एस.एम.डी.सी. के माध्यम से खनन किए जाने हेतु बिहार की निम्नलिखित 7 बंद पड़ी कोयले की खानों को बिहार सरकार को सौंपे जाने का निर्णय सितम्बर, 1996 में लिया गया:-
 - (1) जगलङगा

- (2) जयंती सेंट्रल
- (3) जयंती खास
- (4) जयंती जैन
- (5) विल्लार्डस
- (6) विल्लार्डस प्रा. लि. (I)
- (7) विल्लार्डस प्रा.लि. (II)

राज्य सरकारों को को.इं.लि. के अपेक्षित प्रभारों की अदायगी किए जाने संबंधी निपटारा करने की और इन 7 •खानों पर पट्टेदारी दिए जाने के लिए प्रकियात्मक अपेक्षाओं का अनुपालन किए जाने की सलाह दी गई है।

Welfare Scheme for the Handicapped

1053. SHRI K. RAHMAN KHAN: Will the Minister of WELFARE be pleased to state:

- (a) the number of schemes available for the handicapped;
- (b) the number and names of Governmental and non-Governmental organisations which deal with the welfare of disabled persons;
- (c) the total number of beneficiaries of these schemes State-wise and year-wise for the last three years;
- (d) the immediate hurdles in setting up the proposed National Handicapped Finance and Development Corporation (NHFDC);
- (e) the schemes NHFDC proposes to come out with; and
- (f) the details of the District Rehabilitation Centres?

THE MINISTER OF WELFARE (SHRI BALWANT SINGH RAMOOWALIA): (a) to (c) Required information has been called for from the concerned Ministries/Departments and State Governments/Union Territory Administrations.

- (d) For setting up the National Handicapped Finance and Development Corporation, certain procedural formalities are to be observed in accordance with the Companies Act, 1956 which are under process.
- (e) The broad objectives of the National Handicapped Finance & Corporation are to promote economic and developmental activities and self-employment for the benefit/economic rehabilitation of the handicapped

persons. However, the specific schemes will be formulated by the Corporation after its registration.

(f) The Government had launched the District Rehabilitation Centre (DRC) Scheme in 1982-83 for providing a package of comprehensive rehabilitation services to the rural disabled. The DRC Scheme is being implemented in the following States:—

Andhra Pradesh — Vijayawada

2. Haryana — Bhiwani

3. 'Karnataka — Mysore

4. Madhya Pradesh — Bilaspur

5. Maharashtra — Virar

6. Orisa - Bhubaneshwar

7. Rajasthan — Kota

8. Tamil Nadu — Chengalpattu

Uttar Pradesh — Sitapur & Jagdishpur

West Bengal — Kharagpur

Four Regional Rehabilitation Training Centres (RRTCs) at Bombay, Cuttack, Madras and Lucknow and one Central Administrative & Coordination Unit (CACU) at New Delhi were set up for backing up the services of DRCs.

गुजरात में उद्योग स्थापित करने हेतु द्विपक्षीय समझौते

1054. श्री गोपाल सिंह जी. सोलंकी: क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) गत पांच वर्षों के दौरान गुजरात में विभिन्न परियोजनायें और योजनायें स्थापित करने के लिए पिछली कांग्रेस सरकार के साथ द्विपक्षीय समझौते करने वाले औद्योगिक समूहों की संख्या कितनी है और ये समझौते किन-किन क्षेत्रों में किये गए थे।
- (ख) प्रत्येक परियोजना की लागत क्या है और उनके लिए क्या निबंधन व शर्तें निर्धारित की गई थीं।
- (ग) उक्त परियोजनाओं में से प्रत्येक परियोजना को स्थापित करने के लिए भूमि के अधिग्रहण के फलस्वरूप राज्य में कितने लोगों के विस्थापित होने की संभावना है
- (घ) उक्त संमझौते/परियोजनाओं के लिए कितनी इकाइयों को आमंत्रित किया गुया था।